न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू कैम्प थैलासर
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 10 / 2022 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 दिनांकः– 05.01.2022

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम पोकरराम आदि

–: **आदेश** :–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम सहजूसर तहसील चूरू के खसरा नम्बर 508 / 263 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है परन्तु संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि ख.नं. 508 / 263 की दक्षिणी–पश्चिमी एवं उत्तरी–पूर्वी सींव के पास से दोनों तरफ दो कटानी रास्ते पहले से ही मौजूद होने से तहसीलदार, चूरू का यह कटानी रास्ता अंकित कराने का प्रार्थना पत्र अनावश्यक प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

05/01/22

(राहुल सैनी)

भू–अभिलेख अधिकारी,

चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:21 IST
Reason: SelfAttested